

राष्ट्रीय एससी-एसटी हब योजना

उद्देश्य:

- सूक्ष्म एवं लघु उद्यम आदेश 2012 के लिए केन्द्र सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति के तहत दायित्वों को पूरा करने, लागू व्यावसायिक प्रथाओं को अपनाने और स्टैंड-अप इंडिया पहल का लाभ उठाने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को पेशेवर सहायता प्रदान करना।

● मुख्य लाभ

- संयंत्र एवं मशीनरी/उपकरण की खरीद पर 25% सब्सिडी या 25 लाख रुपये, जो भी कम हो।
- कार्यक्रमों में भागीदारी के माध्यम से विपणन और मार्गदर्शन सहायता।
- बैंक ऋण प्रसंस्करण, परीक्षण सेवाओं, निर्यात संवर्धन परिषद की सदस्यता, सरकार द्वारा प्रवर्तित ई-कॉमर्स पोर्टल्स की सदस्यता, एनएसआई की एकल बिंदु पंजीकरण योजना के लिए ली गई फीस की प्रतिपूर्ति।
- एससी/एसटी उद्यमों और उद्यमियों से संबंधित सूचना का संग्रहण, मिलान और सीपीएसई को उसका प्रसार।
- कौशल विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण और व्यापार विशिष्ट टूल किट का वितरण।

योजना निम्नलिखित के लिए लागू है:

- महत्वाकांक्षी और मौजूदा एससी/एसटी उद्यमी।

विस्तार में जानकारी:

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच) की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अक्टूबर 2016 में की गई थी। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए केंद्र सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति आदेश 2012 के अंतर्गत दायित्वों को पूरा करने, लागू व्यावसायिक प्रथाओं को अपनाने और स्टैंड-अप इंडिया पहल का लाभ उठाने में पेशेवर सहायता प्रदान

करना है। हब ने अपनी विभिन्न उप-योजनाओं /हस्तक्षेपों के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को उनकी क्षमता निर्माण, बाज़ार संपर्क, वित्तीय सुविधा, निविदा बोली में भागीदारी आदि में पेशेवर सहायता प्रदान करके सुविधा प्रदान करने के लिए कई पहल की हैं। एनएसएसएच विभिन्न उप-योजनाओं के माध्यम से उल्लिखित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर कार्य करता है, जो इस प्रकार हैं:

- संयंत्र एवं मशीनरी/उपकरण की खरीद पर 25% सब्सिडी विशेष ऋण लिंकड पूंजी सब्सिडी योजना।
- विशेष विपणन सहायता योजना के अंतर्गत विदेश मंत्रालय द्वारा निर्धारित दर के अनुसार हवाई किराये पर 100% सब्सिडी तथा महंगाई भत्ते का दोगुना।
- एकल बिन्दु पंजीकरण योजना के अंतर्गत एनएसआईसी पंजीकरण प्राप्त करने के लिए 100 रुपये के मामूली शुल्क पर 100% सब्सिडी।
- बैंक ऋण प्रसंस्करण शुल्क पर 80% या 1.0 लाख रुपये जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति।
- निष्पादन बैंक गारंटी के लिए 80% या 1.0 लाख रुपये जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति।
- परीक्षण शुल्क पर 80% या 1.0 लाख रुपये जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति।
- निर्यात संवर्धन परिषद की सदस्यता/अंशदान शुल्क पर 80% या 20,000 रुपये जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति।
- सरकार द्वारा प्रवर्तित ई-कॉमर्स पोर्टल्स की सदस्यता शुल्क पर 80% या 25,000 रुपये जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति।
- शीर्ष 50 एनआईआरएफ रेटेड प्रबंधन संस्थानों के अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुल्क का 90% या पाठ्यक्रम शुल्क या 1.0 लाख रुपये जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति।

विस्तृत दिशा-निर्देशों के लिए:

मिलने जाना:

<https://www.scsthub.in/>